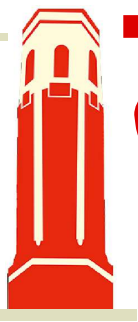


- देहरादून
- वर्ष 34
- अंक 207
- पृष्ठ 8
- मूल्य ₹ 1.00



दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

सड़क दुर्घटना में 2 की मौत, 3 गंभीर घायल

हमारे संवाददाता

देहरादून। सड़क दुर्घटना में आज सुबह एक इको वाहन के सड़क किनारे खड़े लोडर वाहन से टकरा जाने से जहां दो लोगों की मौत हो गयी वहीं पांच लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर मृतक व घायलों को अस्पताल पहुंचाया जहां तीन की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

सड़क दुर्घटना का यह मामला डोईवाला टोल प्लाजा के समीप का है। यहां आज सुबह सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। जबकि पांच घायल हैं। इनमें से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। वाहन में कुल सात लोग सवार थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया। वहीं घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।

जानकारी के अनुसार देहरादून-हरिद्वार रोड पर मणिमाई मंदिर के पास आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। टोल के पास सड़क किनारे खड़े लोडिंग वाहन से एक इको गाड़ी टकरा गई। हादसे के वक्त इको में सात लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि आगे बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच लोग घायल हो गए। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरावाला चौकी प्रभारी कमलेश गौड़ ने बताया



कि इको गाड़ी देहरादून से हरिद्वार की ओर जा रही थी। इसी दौरान उसके आगे चल रहे लोडिंग वाहन का अचानक टायर निकल गया। टायर निकलने के बाद लोडिंग वाहन अनियंत्रित होकर इको गाड़ी से

टकरा गया और इको भी लोडिंग वाहन से जा भिड़ी।

हादसे में इको में आगे बैठे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पांच अन्य लोग घायल

हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

पुलिस मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, घायल

◆ बसंत विहार क्षेत्र की चेन लूट मामले में चल रहा था फरार

हमारे संवाददाता

देहरादून। बसंत विहार क्षेत्र में हुई चेन लूट मामले में फरार चल रहे बदमाश की देर रात पुलिस से मुठभेड़ हो गयी। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। जिसे गिरफ्तार कर अस्पताल पहुंचाया गया जहां उसका उपचार जारी है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक तमंचा, दो कारतूस, स्कूटी तथा लूटी गयी चेन बरामद की है।

जानकारी के अनुसार बसंत विहार क्षेत्र में देर रात्रि हरबंसवाला बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिना नम्बर प्लेट की एक स्कूटी सवार को रोकने का प्रयास किया। लेकिन स्कूटी चालक चेकिंग प्वाइंट पर न रुककर टी एस्टेट की तरफ भागने लगा। इस पर पुलिस टीम द्वारा बदमाश का पीछा किया गया, बदमाश द्वारा पुलिस पर पीछा करने के दौरान फायरिंग की गई, पुलिस टीम द्वारा



बदमाश का पीछा करते हुए जवाबी पैर में गोली लगने से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल

अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और मुठभेड़ में घायल बदमाश को तत्काल उपचार हेतु प्रेमनगर चिकित्सालय भेजा गया जिसे उच्च उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया। अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर चिकित्सालय में जाकर अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली गयी। पुलिस के अनुसार घायल हुआ बदमाश बीती 14 अगस्त को बसंत विहार इलाके में हुई वृद्ध महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना में आरोपी है। जिसके पास से एक तमंचा, दो कारतूस, घटना में प्रयुक्त स्कूटी व लूटी गयी चेन बरामद हुई है। गिरफ्तार बदमाश का नाम आकाश उर्फ तमंचा पुत्र जगदीश लाल निवासी शिवाजी एनक्लेव जैन प्लॉट थाना रायपुर देहरादून बताया जा रहा है। जिसके खिलाफ जिले के विभिन्न थानों में एक दर्जन से अधिक मुकदमें दर्ज हैं।

पॉक्सो एक्ट का आरोपी गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

बागेश्वर। पॉक्सो एक्ट मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के अनुसार बीती 17 अगस्त को पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने थाना कपकोट में



आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गयी थी। जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बीती देर रात गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम नदीम अली पुत्र रफ़ैदीन निवासी ग्राम अब्बासपुर जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश है जिसे आज न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।

श्रीनगर नगर निगम की मेयर हुई भाजपा में शामिल

◆ 10 पार्षदों ने भी धामा भाजपा का दामन



हमारे संवाददाता देहरादून। श्रीनगर नगर निगम की मेयर आरती भंडारी ने आज देहरादून स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके साथ उनके पति एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य लखपत भंडारी सहित श्रीनगर नगर निगम के 10 पार्षदों ने भी भाजपा का दामन धाम लिया।

भाजपा में शामिल होने वाले पार्षदों में दो कांग्रेस पार्षद राजकुमार और अनुराग चौहान भी शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रहा। श्रीनगर नगर निगम से भाजपा की सदस्यता लेने वाले पार्षदों में विजय चमोली, मीना भारती, सोनू, भावना चौहान, अंजली भंडारी, आशीष नेगी, अनुराग चौहान, राजकुमार, नरेंद्र रावत, धर्म सिंह रावत और प्रवेश चमोली के नाम शामिल हैं। इस मौके पर श्रीनगर गढ़वाल के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री

पुष्कर सिंह धामी और पौड़ी जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

मेयर आरती भंडारी का राजनीतिक अनुभव काफी लंबा रहा है। वह पूर्व में जिला पंचायत सदस्य और खिर्सू ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं। करीब एक वर्ष पहले हुए श्रीनगर नगर निगम चुनाव में आरती भंडारी ने निर्दलीय प्रत्याशी

के तौर पर चुनाव लड़ा था। उन्होंने लगभग 1,600 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर श्रीनगर नगर निगम की पहली महिला महापौर बनने का गौरव हासिल किया था। अब उनके भाजपा में शामिल होने और उनके साथ नगर निगम के पार्षदों के पार्टी में आने से श्रीनगर की स्थानीय राजनीति में इसे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है।

अकिता भंडारी हत्याकांड: पुलकित आर्य व अन्य दोषियों को लगा बड़ा झटका

□ हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

हमारे संवाददाता नैनीताल। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में उत्तराखंड के बहुचर्चित अकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी व न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने दो दिन चली लंबी सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

खंडपीठ में सुनवाई के दौरान आज तीनों आरोपियों की ओर से अपना पक्ष रखा गया और बचाव में कई तर्क रखे गये। जिन्हें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। बता दें कि बीते साल 30 मई को कोर्टद्वारा की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने आरोपियों को अकिता की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार देते हुए अजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ आरोपियों की ओर से विशेष अपील दायर की गई थी। दो दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।

विदित हो कि 2022 में अकिता हत्याकांड सामने आया था। अकिता ऋषिकेश के पास मौजूद वनंतारा रिसॉर्ट में स्वागती के पद पर तैनात थी। 18 सितंबर 2022 को संदिग्ध हालात में लापता हो गयी थी। 24 सितंबर को उसका शव चीला बैराज से बरामद हुआ था। हुआ था। पुलिस ने शक के आधार पर मुख्य आरोपित भाजपा नेता के पुत्र रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य सहित अन्य आरोपियों से पूछताछ की, शक सही होने पर उनके मुकदमा दर्ज किया। आरोपित व तब से जेल में बंद है।

दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक ढंग से करें विश्लेषण:बर्द्धन

संवाददाता देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाए। आज यहां मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, सड़क सुरक्षा उपायों, ब्लैक स्पॉट के सुधार सहित जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों की समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य सचिव ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाए। उन्होंने सड़क की डिजाइन, रोड ज्योमेट्रिक्स



तथा अन्य तकनीकी कमियों पर विशेष ध्यान दिए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर सड़क की स्थिति अथवा डिजाइन के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ रही है, वहां सम्बन्धित अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित

की जाए। मुख्य सचिव ने रोड सेफ्टी ऑडिट को प्राथमिकता दिए जाने की बात कही। कहा कि बस अड्डों का भी टीम गठित कर नियमित ऑडिट कराया जाए। बात ही, ऑडिट में प्राप्त सुझावों को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सुधारात्मक उपायों को लागू किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि मा. उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने दो पहिया वाहन चालकों एवं सवारियों के लिए हेलमेट के अनिवार्य उपयोग को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने तथा यातायात नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिवहन एवं पुलिस विभाग को नियमित रूप से प्रवर्तन सम्बन्धी कार्रवाई की समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा की दृष्टि से बांस के वृक्षों तथा क्रैश बैरियर/पैराफिट आदि के सम्बन्ध में पूर्व में वन एवं लोक निर्माण विभाग को दिए गए निर्देशों पर हुई कार्रवाई की जानकारी भी ली, साथ ही अन्य राज्यों में अपनाई जा रही बेहतर सड़क सुरक्षा व्यवस्थाओं का अध्ययन कर उन्हें उत्तराखंड में लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार करने के निर्देश

दिए गए। उन्होंने ब्लैक स्पॉट तथा दुर्घटना संभावित स्थलों का रोड सेफ्टी एवं थर्ड पार्टी ऑडिट कराने तथा ऑडिट के सुझावों के आधार पर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने जनपद स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों की बैठकें निर्धारित समय पर नियमित रूप से आयोजित की जाने के निर्देश दिए। कहा कि प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त सम्बन्धित पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। उन्होंने सचिव परिवहन को सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमित एवं रूटीन कार्यों की लगातार निगरानी करने तथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों से समन्वय करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव रविनाथ रमन एवं डॉ. रणवीर सिंह चौहान सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।

‘कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हुई मजिस्ट्रेटों की तैनाती’

हमारे संवाददाता हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने ईद-ए-मिलाद-उल-नबी (बारावफात) के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मजिस्ट्रेटों की तैनाती के आदेश जारी किए हैं।

ईद-ए-मिलाद-उल-नबी (बारावफात) आगामी 26 अगस्त को चंद्र दर्शन के अनुसार मनाया जाएगा। यह पर्व सुन्नी सम्प्रदाय द्वारा पैगम्बर मोहम्मद साहब के जन्म/निर्वाण एवं शिया सम्प्रदाय द्वारा जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर नफली इबादत (विशेष अतिरिक्त नमाज) अदा



करने, घरों, धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी, आतिशबाजी, जुलूस/जलसे आदि आयोजित किए जाते हैं, जो मुख्य पर्व के बाद भी जारी रहते हैं।

जिलाधिकारी ने कहा कि पर्व के दौरान साम्प्रदायिक संवेदनशीलता के

दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार एवं समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पर्व से पूर्व संबंधित धार्मिक पक्षों के साथ आवश्यक बैठक आयोजित कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जनपद में कानून

एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उप जिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर से अधीनस्थ नायब तहसीलदारों को अपनी सुविधानुसार नियुक्त कर पर्व के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय पर स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ईद-ए-मिलाद-उल-नबी के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ साम्प्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारा एवं शांतिपूर्ण वातावरण कायम रखने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित की जाएं।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।